Scheduled Caste or the Scheduled Tribe – Member.	

[F. No. A/Pers/RRs/Gp B/Nb Sub (Cipher)/2019]

R JOSES VASHUM, Under Secy. (Pers-II)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 150.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद में वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद, वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –**उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में यथा विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ	02* (2023)	साधारण	वेतन मैट्रिक्स में	लागू	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।

प्रयोगशाला परिचर	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	नहीं होता।	(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र या फार्मसी या जैव रसायन या फार्मसूटिकल रसायन या फार्मकॉलजी या माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक या समकक्ष या भारत में रसायनज्ञ संस्थानों से एसोसिएट-शिप डिप्लोमा। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. निदेशक, क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली -सदस्य; 3. क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद से कोई भी समूह 'क' अधिकारी -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.12018/2/2018-डीआर]

बिकाश आर महतो, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 13th October, 2023

G.S.R. 150.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating for the method of recruitment for the post of Senior Lab Attendant in the Central Drugs Testing Laboratory, Hyderabad under Central Drugs Standard Control Organisation, Ministry of Health and Family Welfare, namely:—.

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Drugs Standard Control Organisation, Central Drugs Testing Laboratory, Hyderabad, Senior Lab Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. —** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age- limit, qualification, etc.—** The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. —** No person, —

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. —** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Laboratory Attendant.	02* (2023) *subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix Rs.19900-63200.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Essential: Bachelor in Chemistry or Pharmacy or Biochemistry or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Microbiology from a recognised University or equivalent. OR Associate-ship Diploma of Institutions of Chemist in India. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruitment. **Note:** There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director, Regional Drugs Testing Laboratory, Hyderabad -Chairman; 2. Deputy Director (Administration) Central Drug Standard Control Organisation (Head Quarter), New Delhi - Member; 3. Any group 'A' Officer, Regional Drugs Testing Laboratory, Hyderabad -Member.	Not applicable.

[F. No. A.12018/2/2018-DR]

BIKASH R MAHATO, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.30 18:26:43 +05'30'